

Title: Introduction of the Airports Authority of India (Amendment) Bill, 2000.

1412 hours

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Airports Authority of India Act, 1994. "

SHRI BASU DEB ACHARIA : I oppose the introduction of the Airports Authority of India (Amendment) Bill, 2000.

Very recently, yesterday, a Sub-Committee of the Consultative Committee of the Ministry of Civil Aviation, of which the hon. Minister is the Chairman, which examined this aspect of the Airports Authority of India leasing out all our airports, recommended against leasing out of any of our profit-making airports. Their apprehension was that this would involve a security risk also. That aspect has not been examined. Then, what would be the consequent results? If our airports are leased out, then a large number of workers would be rendered surplus. What would happen to them? Their suggestion was that instead of leasing out our airports the Government of India should try for FDIs for new airports.

The reason the hon. Minister had given in the Statement of Objects and Reasons is that the Government has no funds for modernisation of the airports. There are 94 Major Airports and 28 are of Civilian Class. A number of airports are making a profit. There is no need to lease out any of our existing airports.

All these aspects have not yet been examined by the Ministry. Without examining they have decided to lease out and thus they have brought forward this piece of legislation. This is against the interests of our country and that is why if this legislation is passed, that will be against the Constitution of our country.

* Published in the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 2, dt.30.11.2k

That is why, I oppose the introduction of this piece of legislation. I demand that the hon. Minister should withdraw this Bill and should try for F.D.I for new airports. There is no problem if Foreign Direct Investment is there for new airports. But existing airports should not be leased out. So, I oppose the introduction of this Bill. (ब्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : ऐसे मंत्री के द्वारा यह सारा काम कराया गया है, जिनकी विचारधारा इसके खिलाफ है। यह क्यों हो रहा है? (ब्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप तो दिल से इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप देश की चीज को क्यों बेच रहे हैं? (ब्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : शरद यादव जी जैसे नेता के माध्यम से यह काम हो रहा है, यह समाजवादी नेता रहे हैं। (ब्यवधान)

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : इस बिल को पेश करने की उनको आप परमिशन दीजिए, इसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन जो स्थिति अभी विमानन की है, उसको देखते हुए इस बिल को नहीं लाना चाहिए। (ब्यवधान)

(ब्यवधान)

स्भापति महोदय : वह बहस के समय आयेगा, अभी नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस बिल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इनकी प्रतिष्ठा को गिराना नहीं चाहते हैं। (ब्यवधान)

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : यह बिल एकदम बेकार है, यह बिल पेश करने के लायक नहीं है।

स्भापति महोदय : आपका इस पर कोई नोटिस नहीं है, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK): Sir, if this Bill is introduced, then the hon. Minister will be jobless. ... (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम आपके साथ हैं, आप अन्याय के खिलाफ लड़िये। (ब्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम लोग एक साथ लड़े हैं, लेकिन आप उधर चले गये और परिवर्तन हो गया। हमारी आपसे अपील है कि आप इस बिल को मत लाइये। (ब्यवधान)

स्भापति महोदय : यह सदन की कार्यवाही में नहीं जायेगा। कृपा करके आप आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)... *

श्री शरद यादव : हम आपके साथ खड़े होकर लड़े हैं। (व्यवधान)

स्भापति महोदय : आपको जो बोलना था, बोल गये। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। अब माननीय मंत्री जी को भाग्य करने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : आप तो वहीं हैं, जहां खड़े हैं। प्रियरंजन दा का आसन बदल गया, पता नहीं कहां खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम तो कांग्रेस में ही हैं। हम तो इधर से उधर नहीं गये हैं, लेकिन शरद यादव जी हमको प्रेरणा देते थे। वे जब जबलपुर से चुनकर आये तो जो अन्याय के खिलाफ लड़े, उससे मुझे प्रेरणा मिली। आज एक मजबूत आदमी आपके मंत्रिमंडल में है, आप इनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : आपको हराकर हम उनको जनता केंडीडेट के रूप में चुनकर लाये थे, उनको आपने नहीं चुना था। ये आपको हराकर हमारे पहले जनता केंडीडेट हैं, जो चुनकर आये हैं। (व्यवधान)

स्भापति महोदय : यह बिल के इंट्रोडक्शन का प्रश्न है, इसमें अन्य बातों का कोई मतलब नहीं है।

श्री शरद यादव : स्भापति जी, आचार्य जी तो बहुत सीनियर मेम्बर हैं। बिल के कंसीड्रेशन के दौरान इस पर काफी बहस होगी। जिस कमेटी की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी विस्तार से हम जवाब देने का काम करेंगे। वह कमेटी हमने ही कांस्टीट्यूट की है। हम जो लीज पर दे रहे हैं, प्रियरंजन दासमुंशी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कोचीन का प्राइवेट एयरपोर्ट जोइंट वेंचर में बना है, उसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा है। हिन्दुस्तान में सिविल एविएशन की यदि कोई एक चीज रूह है तो वह एयरपोर्ट एथॉरिटी है और एयरपोर्ट एथॉरिटी में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारी ग्या, लखनऊ, जयपुर, खजुराहो और कोणार्क आदि पर इतना बड़ा पैसा खर्च करने की स्थिति हों। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये न। आपने जो सवाल उठाया है, मैं आपकी बात का समाधान करना चाहता हूँ। हालांकि इस बिल पर

* Not Recorded

बहस के दौरान, जब बिल आयेगा, तब करेंगे, लेकिन ये एयरपोर्ट लीज पर दिये जा रहे हैं। आपने जो वर्क्स के मामले में कहा, और सब चीजों के मामले में कहा, इन सब चीजों पर अभी तो सिद्धान्ततः हमने तय किया है। बाकी जो चीजें हैं, जैसे चारों एयरपोर्ट प्रोफिट में हैं, ये सारी चीजें हमारे ख्याल में हैं। इनके प्रोफिट को बढ़ाने के लिए हम सिर्फ मैनेजमेंट को लीज पर देने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप वर्क्स के मामले में और चीजों का जो एप्रिहेंशन कर रहे हैं, वे सब सवाल हमारे ख्याल में हैं, ध्यान में हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों का आपने पे रिवीजन नहीं किया।

श्री शरद यादव : उनकी लड़ाई के चलते नहीं हुआ। हम तैयार हैं, आप उनको एक करके ले आएं।

श्री बसुदेव आचार्य : एक कैसे हों, जब इलेक्ट होकर यूनियन बनी हैं, आप मान्यता दें।

स्भापति महोदय : यह बहस के समय डिस्कस करें।

श्री शरद यादव : आपको जानकारी नहीं है कि वेजेज दे चुके हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : किस सेक्टर में मान्यता चाहिए, वहां पर आप नहीं जाएंगे, आपको इस सेक्टर में मान्यता चाहिए इसलिए कह रहे हैं।

श्री शरद यादव : जब इस बिल पर चर्चा होगी, जो सवाल आपने उठाया है, तब आप कहें। जैसे सारा सदन सहमत होगा, उस पर काम किया जाएगा।

स्भापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक को

पुःस्थापति करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SHARAD YADAV: Sir, I introduce the Bill.
